न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2020/00177 (Bank Case)
Manual no- 62/2020

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मांगरोल, बारां

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री दीनदयाल मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा
   पता– राकशपुरिया, मांगरोल–325215 जिला–बांरा (राज.)

(ऋणी/बंधनकर्ता)
– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः–14.10.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा : मांगरोल बांरा से अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.01.2014 को 8,00,000/– (अक्षरेः रूपये आठ लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति जो मकान नं. 119, जयहिन्द नगर, जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 165.27 वर्ग गज है । चतुःसीमा– पूर्व में–रोड़, पश्चिम में–प्लॉट नं. 120 , उत्तर में–प्लॉट नं. 111, दक्षिण में– प्लॉट नं. 140 ,जिसका पट्टा संख्या 6492 दिनांक 01.10.2009 से नगर विकास न्यास जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी दीनदयाल मीणा के नाम जारीसुदा है,** को प्रार्थी ने बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 28.09.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 8,18,564 रूपये (अक्षरेः–आठ लाख अठारह हजार पॉच सौ चौसठ रूपये मात्र ।) दिनांक 30.09.2019 तक व दिनांक 30.9.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तिय सस्था को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि

मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 05.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति जो मकान नं. 119, जयहिन्द नगर, जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 165.27 वर्ग गज है । चतुःसीमा– पूर्व में–रोड़, पश्चिम में–प्लॉट नं. 120 , उत्तर में–प्लॉट नं. 111, दक्षिण में– प्लॉट नं. 140 ,जिसका पट्टा संख्या 6492 दिनांक 01.10.2009 से नगर विकास न्यास जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी दीनदयाल मीणा के नाम जारीसुदा है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तिय सस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को सुनाया गया । 14/10

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा